

प्रेषक

अति आवश्यक

सेवा में,

उप श्रम आयुक्त,  
सर्कल-1 व 2, गुरुग्राम।

श्रम निरीक्षक,  
सर्कल-1 से 17, गुरुग्राम, 1 व 2, मेवात, 1, 2 व 3, रेवाड़ी।

क्रमांक SP/1-4 दिनांक 30/03/2020

विषय: Regarding benefits to un-organised workers/families (COVID-19).

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ के आदेशानुसार आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे असंगठित श्रमिक जो कि Labour Welfare Board / HBOCW में पंजिकृत नहीं है उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके संलग्न प्रोफार्मा भरवाकर उनका ऑन लाईन पंजिकरण नजदिकी सी.एस.सी से करवाये, ताकि इन श्रमिकों को सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ मिल सकें। यह सुविधा पूर्ण रूप से निशुल्क रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप जिला सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आप द्वारा की गई दैनिक प्रगति रिपोर्ट सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाये ताकि आप द्वारा किये गये कार्य की Consolidate रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जा सकें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कौताही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संलग्न/उपरोक्त

उप श्रम आयुक्त,  
सर्कल-1, गुरुग्राम।

उप श्रम आयुक्त  
सर्कल-2, गुरुग्राम।

पृ० क्रमांक SP/1-5-6 दिनांक 30/03/2020

पत्र कि प्रति सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-1, 2, 3, 4, 5 व 6, गुरुग्राम, मेवात व रेवाड़ी को लिखा जाता है कि वे सुनिश्चित करे की सभी श्रम निरीक्षक अपने कार्यक्षेत्र में जा कर उपरोक्त कार्य करें व उनसे दैनिक प्रगति रिपोर्ट ले कर इस कार्यालय को भिजवायें।

पत्र कि प्रति माननीय श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है कि जैसे ही सूचना सहायक श्रम आयुक्तों के कार्यालय से प्राप्त होगी रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दी जायेगी।

उप श्रम आयुक्त,  
सर्कल-1, गुरुग्राम।

उप श्रम आयुक्त  
सर्कल-2, गुरुग्राम।